राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 14/2014 – निगरानी

1. रतनलाल पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी बड़लियास का झूपड़ा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. मोहनलाल पुत्र बेणा रेगर निवासी बडलियास तहसील कोटडी 2. ग्राम पंचायत जरिये सचिव/सरपंच बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी अंतर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत बडलियास पत्रावली क्रमांक 15 पटटा जारी दिनांक 24.12.1999

1. श्री उदयलाल जाट अधिवक्ता – निगराकार की ओर से उपस्थित
2. श्री मांगीलाल सेन अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 25.06.2018

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 23.09.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा जारी पटटा दिनांकित 24.12.1999 जो पत्रावली सं. 15 में जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 के तत्कालिन सरपंच से मिली भगती करके उक्त फर्जी पटटा जारी करवाया है, जबकि गैर निगराकार सं. 01 का उक्त पटटे में स्थित पडौसान के मध्य कोई पुश्तैनी मकान नही है व न ही उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नही की गयी एव न ही उक्त पटटे बाबत मिसल कायम की गयी है। कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं मांगी गयी है। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 145 से लगायत 155 तक के नियमों के विरूद्व पटटा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 02 ने गैर निगराकार सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगायी है एवं न ही निगराकार को सुनने का अवसर दिया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से पटटा निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा जारी किये गये पटटे की जगह पर कब्जा निगराकार का होकर वर्षों से

निगराकार ही काबिज है। अतः निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया निगरानीधीन पटटा निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित फरमावे।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 07.10.2014 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत से पटटा जारी करने संबंधी पत्रावली तलब किये जाने हेतु पत्र लिखा गया। ग्राम पंचायत बडलियास ने अपने पत्रांक/पंचा/2017–18/स्पे. दिनांक 16.10.2017 में अंकित किया कि उक्त पटटा पत्रावली ग्राम पंचायत के रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी । निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा जारी पटटा दिनांकित 24.12.1999 जो पत्रावली सं. 15 में जारी किया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 01 ने गैर निगराकार सं. 02 के तत्कालिन सरपंच से मिली भगती करके उक्त फर्जी पटटा जारी करवाया है, जबकि गैर निगराकार सं. 01 का उक्त पटटे में स्थित पडौसान के मध्य कोई पुश्तैनी मकान नही है व न ही उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत द्वारा कोई पत्रावली कायम नही की गयी एव न ही उक्त पटटे बाबत मिसल कायम की गयी है। कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं मांगी गयी है। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 145 से लगायत 155 तक के नियमों के विरूद्व पटटा जारी किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार सं. 02 ने गैर निगराकार सं. 01 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद कोई मौका रिपोर्ट नहीं मंगायी है एवं न ही निगराकार को सुनने का अवसर दिया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से पटटा निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा जारी किये गये पटटे की जगह पर कब्जा निगराकार का होकर वर्षों से निगराकार ही काबिज है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गैर निगराकार सं. 02 द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी किया गया निगरानीधीन पटटा निरस्त फरमाये जाने का आदेश पारित फरमावे। निगराकार अधिवक्ता ने लिखित बहस भी प्रस्तुत की है।

गैर निगराकार के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में बताया कि विपक्षी पटटाधारी के नाम पर ग्राम पंचायत बडलियास की झुपडा के अन्दर हल्का आबादी क्षैत्र में स्थित जायदाद का पटटा ग्राम पंचायत बडलियास द्वारा विधिवत् रूप से प्रक्रिया अपनायी जाकर पत्रावली सं. 15 दिनांक 24.12.1999 विपक्षी द्वारा ग्राम पंचायत में आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली कायम की गयी जिसमें ग्राम पंचायत में विक्रय राशि 1200/–रूपये जमा कर

विधिवत रूप से पत्रावली को ग्राम पंचायत की कौरम में रखी जाकर मौका देखा जाकर प्रस्ताव लेकर 40 बाई 50 का पटटा जारी किया गया। विपक्षी द्वारा पटटा की राशि जमा कराई जिसकी रसीद ग्राम पंचायत द्वारा 24.12.1999 को जारी की गयी । पटटासुदा भूखण्ड पर विपक्षी का कब्जा है। चारों ओर दीवार का निर्माण किया हुआ है। प्रार्थी निगराकार विपक्षी के भूखण्ड पर जबरन लाठी के बल पर कब्जा करना चाहता है। उक्त भूखण्ड पर निगराकार व उसके परिवार वालों ने जबरन कब्जा का प्रयास किया उसके लिए विपक्षी ने पुलिस अधीक्षक महोदय के यहां रिपोर्ट की व जिससे थाना बडलियास द्वारा मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। निवेदन है कि दस्तावेजी रिकार्ड व लिखित बहस को रिकार्ड पर लिया जाकर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। निगराकार ने गैर निगराकार के पक्ष में जारी बापी पटटा दिनांक 24.12.1999 की फोटोप्रति पेश की गयी। गैर निगराकार ने अपनी साक्ष्य में दस्तावेज पेश किया जिसके अनुसार गैर निगराकार सं. 01 मोहनलाल पुत्र बेणा रेगर द्वारा ग्राम पंचायत बडलियास के समक्ष आवेदन पत्र , नक्शा, मौका निरीक्षण प्रपत्र के 60/–रू. रसीद सं. 2467 दिनांक 24.11.1999 को जमा कराये गये। सरपंच ग्राम पंचायत बडलियास ने पत्रावली क्रमांक 15 में 40 बाई 50 वर्गफीट भूमि का 1200/–रू. रसीद सं. 2474 दिनांक 24.12.1999 को जमा कर रोकड बही में इन्द्राज कर श्री मोहनलाल पुत्र बेणा रेगर के नाम बापी पटटा जारी करना प्रकट होता है। उक्त बापी पटटे की भूमि पर मोहन पिता बेणा रेगर का ही कब्जा होना ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत बडलियास ने अपने पत्र दिनांक 25.05.2015 में बताया है। दिनांक 24.12.1999 को बैठक कार्यवाही विवरण में गैर निगराकार सं. 01 मोहनलाल पुत्र बेणा रेगर के नाम उक्त बापी पटटे का अनुमोदन किया गया।

गैर निगराकार सं. 01 मोहन लाल पिता बेणा रेगर निवासी बडलियास के द्वारा प्रस्तुत दस्तोवज अनुसार अपने नाम पर जारी बापी पटटे के भूखण्ड पर रतनलाल पिता मांगू धाकड निवासी धाकडों की झुंपडिया द्वारा जबरन कब्जा करने के संबंध में जिला कलक्टर भीलवाडा को जन सुनवाई में दिनांक 07.02.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। इस प्रार्थना पत्र को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी के पत्र क्रमांक/पसको/सामान्य/5037 दिनांक 13.05.2014 से जिला परिषद भीलवाडा द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रार्थी मोहन लाल पिता बेणा रेगर निवासी बडलियास स्वयं द्वारा ही अतिकमी के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज करावे। जिस पर मोहन लाल पिता बेणा रेगर निवासी बडलियास ने थानाधिकारी बिगोद में

निगराकार रतनलाल पुत्र मांगीलाल धाकड निवासी बडलियास का झूंपडा वगैरह के विरूद्व एफ.आई.आर. सं. 57/2014 दिनांक 22.02.2014 को दर्ज करवायी गयी। जिस पर थानाधिकारी बिगोद ने एफ.आई.आर. में मामला अपराध धारा 447 आई.पी.सी. 3(1) (5)(10) एस.सी.एस.टी. एक्ट का घटित होना बताते हुये अनुसंधान हेतु सी.ओ. वृत माण्डलगढ के जिम्मे किया। ग्राम पंचायत बडलियास के सचिव की रिपोर्ट दिनांक 25.03.20147 अनुसार गैर निगराकार सं. 01 के भूखण्ड का सीमाज्ञान भी करवाया एवं उप पुलिस अधीक्षक द्वारा भी भूखण्ड का सीमाज्ञान करवाकर चारों दिशोओं मे पत्थरगढी कर दी थी। ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत बडलियास ने पत्र दिनांक 25.05.2015 मे उक्त बापी पटटा दिनांक 24.12.1999 के भूखण्ड पर मोहन पिता बेणा रेगर का ही कब्जा होना बताया है। इस प्रकार गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में जारी बापी पटटे के भूखण्ड पर निगराकार का कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा ग्राम बडलियास की आबादी भूमि में गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में 2000 वर्गफीट भूमि का राशि 1200/–रू. जमाकर बापी पटटा दिनांक 24.12.1999 को जारी किया, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य नही ठहरती है। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत बडलियास खारिज की जाकर अधिनस्थ ग्राम पचायत द्वारा गैर निगराकार सं. 01 के पक्ष में ग्राम पंचायत बडलियास पत्रावली सं. 15 दिनांक 24.12.1999 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ ग्राम पंचायत को पालनार्थ लौटाया जावे। आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटडी को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/07/18

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)